भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 218

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम संविधियों का सुधार

***218. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 44 श्रम संविधियों को सरल बनाने, युक्तिसंगत बनाने तथा उन्हें 5 संहिताओं में समामेलित करने की प्रक्रिया शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित श्रम संविधियों के सुधारों पर राज्यों के विचार मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में श्रम संविधियों में सुधार के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

******

श्रम संविधियों के सुधार के संबंध में श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): यह उल्लेखनीय है कि हमें अपने विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों को बदलते आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिक प्रगति तथा वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं हमारे कामगारों के लिए बेहतर कार्यदशाओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार बनाने की आवश्यकता है। विद्यमान केन्द्रीय श्रम अधिनियमों मे से लगभग 17 श्रम अधिनियम 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा उनमें से कुछ तो 70 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तदनुसार, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय ने विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरल बनाकर, समामेलित करके तथा तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संबंधी संहिता; औद्योगिक संबंध संबंधी संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन संहिताओं का प्रारूपण श्रमिक संघों, नियोक्ता संघों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात किया गया है। श्रम संहिताओं पर कुल आठ त्रिपक्षीय परामर्श किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रारूपों को आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया था। केन्द्रीय श्रम अधिनियम जिन्हें प्रस्तावित श्रम संहिताओं में समामेलित कर लिया गया है, को इन संहिताओं के अधिनियमन पर निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

(ग): मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में संशोधन भी किए हैं जैसे बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में बोनस के भुगतान हेतु पात्रता सीमा को 10,000/-रुपये से बढ़ाकर 21,000/-रुपये प्रतिमाह तथा गणना सीमा को 3500/-रुपये से बढ़ाकर 7000/-रुपये अथवा न्यूनतम वेतन करना; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में कर्मचारियों को नकद अथवा चैक अथवा उनके बैंक खाते में राशि जमा करके वेतन का भुगतान करने में समर्थ बनाना; बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित करना; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना; उपदान संदाय अधिनियम,1972 में उपदान सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

****